

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 9, 2015/पौष 19, 1936

No. 15]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 9, 2015/PAUSA 19, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2015

सा.का.नि.17(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमा सुरक्षा बल (जन सम्पर्क अधिकारी) भर्ती नियम, 2000 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, सीमा सुरक्षा बल में जन सम्पर्क अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय (जन सम्पर्क अधिकारी) भर्ती नियम, 2015 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड व ग्रेड वेतन या वेतनमान — उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा और अर्हताएं आदि—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उन पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति —
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है
उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति — जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. अन्य देशीय की अपात्रता — इन नियमों के अन्तर्गत वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, को सिवाय ऐसे मामले में जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित में पूर्व सहमति दी गई हो, नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह कि इन नियमों की कोई बात नेपाल और भूटान के नागरिक की नियमों के अधीन उसकी नियुक्ति, नामांकन या नियोजन का वर्जन नहीं करेगी।

7. व्यावृत्ति — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जनसम्पर्क अधिकारी	2* (दो) (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 3 (15,600-39,100 + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	सशस्त्र बलों के कार्मिकों या पुनर्नियोजित कार्मिकों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति के पश्चात, पुनर्नियोजन।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
11. प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों/कानूनी या अर्द्धसरकारी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित	समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (सशस्त्र बलों के कार्मिकों के पुनर्नियोजन के लिए) :— 1. महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल — अध्यक्ष 2. महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल — सदस्य 3. निदेशक अथवा उप सचिव गृह मंत्रालय — सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से प्रत्येक अवसर पर परामर्श करना आवश्यक है।

आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 3 (15,600—39,100 रूपए +ग्रेड वेतन 5,400 रु.) या मूल कांडर या विभाग के समतुल्य श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता या मॉस कम्प्यूनिकेशन में स्नातक; (ii) पत्रकारिता, जन सम्पर्क अथवा इवेंट प्रबंधन में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता या मॉस कम्प्यूनिकेशन या जन सम्पर्क में स्नातकोत्तर । टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि शामिल है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए (प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन) : सदृश पदों के लिए सशस्त्र बलों अर्थात् भारतीय सेना में मेजर, भारतीय नौ सेना में लेफ्टिनेंट कमांडर और भारतीय वायु सेना में स्कवाड्रन लीडर रैंक के कार्मिकों तथा भारतीय सेना में कैप्टन, भारतीय नौ सेना में लेफ्टिनेंट और भारतीय वायु सेना में फ्लाईट लेफ्टिनेंट रैंक के ऐसे कार्मिकों जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है, के संबंध में भी विचार किया	4. उप महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल — सदस्य	
--	---	--

जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और अर्हताएं हैं। यदि चयन किए जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति की शर्तों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पद बने रहने दिया जा सकता है। यदि ऐसे अधिकारी पद के लिए वास्तविक चयन से पूर्व सेवा निवृत्त या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जा चुके हैं तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर होगी। (सिविल पदों के प्रतिनिदेश से अधिवार्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन)		
---	--	--

[फा. सं. 17 / 109 / 2011—कार्मिक / सीसुबल]

दिनेश माहुर, निदेशक (कार्मिक)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st January, 2015

G.S.R.17(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Border Security Force (Public Relations Officer) Recruitment Rules, 2000, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Public Relations Officer in the Border Security Force, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Border Security Force, Headquarters (Public Relations Officer) Recruitment Rules, 2015.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale .—The number of the said post, its classification and pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. Disqualification .— No person,—
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.
6. Ineligibility of aliens.—No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing be appointed or employed under these rules:
Provided that nothing contained in this rule shall bar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.
7. Saving .— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders, issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Public Relations Officer	02* (Two) 2015 (* Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3 (Rs.15,600 - 39,100) + Grade Pay of Rs. 6,600.	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or promotion or deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for Armed Forces personnel or Re-employed	By deputation (including short-term contract) Deputation or Re-employment for Armed Forces Personnel

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract) : Officers under Central /State Governments/Union Territories /Universities /Recognised Research Institutions/Public Sector Undertakings/Autonomous Organisations/Statutory or Semi-Government organisations: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Pay band-3 (Rs.15600 - 39100) plus grade pay of Rs. 5400 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:— (i) Bachelor's Degree in Journalism/Mass Communication from a recognised university; (ii) five years' experience in Journalism, Public Relation or Event Management. Desirable: Master's degree in Journalism/Mass Communication/Public Relation from a recognised University. Note 1: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for re-employment Armed Forces Personnel): (1) Director General - Chairman Border Security Force. (2) Inspector General - Member Border Security Force. (3) Director or Deputy Secretary - Member Ministry of Home Affairs (4) Deputy Inspector General - Member Border Security Force.	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation / department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation. (Deputation/Re-employment) for Armed Forces personnel : Armed Forces personnel of the rank of Major in Indian Army, Lieutenant Commander in Indian Navy and Squadron Leader in Indian Air Force for analogous posts and Captain in Indian Army, Lieutenant in Indian Navy and Flight Lieutenant in Indian Air Force with five years regular service in the grade who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and have the qualifications and experience prescribed for deputationists shall also be considered. If selected, such officers will be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment basis. (Re-employment up to the age of superannuation with reference to civil posts).		
--	--	--

[F. No.17/109/2011-Pers/BSF]
DINESH MAHUR, Director (Personnel)